



प्रेस नोट

थाना जरिया

दिनांक 19.04.2024

थाना जरिया पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.04.2024 को थाना जरिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 83/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रदीप कुमार राजपूत पुत्र हल्काई को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना जरिया में मु0अ0सं0 100/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

प्रदीप कुमार राजपूत पुत्र हल्काई उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम करमेर थाना आटा जनपद जालौन बरामदगी का विवरण

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।
प्रदीप कुमार राजपूत पुत्र हल्काई का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 169/2023 धारा 41/411/413 भा0द0सं0 थाना जरिया जनपद हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 135/2022 धारा 379/411 भा0द0सं0 थाना राठ जनपद हमीरपुर
3. मु0अ0सं0 138/2022 धारा 379/411 भा0द0सं0 थाना राठ जनपद हमीरपुर
4. मु0अ0सं0 588/2017 धारा 403/411/413/414 भा0द0सं0 थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
5. मु0अ0सं0 457/2017 धारा 379/411 भा0द0सं0 थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
6. मु0अ0सं0 444/2023 धारा 379/411 भा0द0सं0 थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
7. मु0अ0सं0 83/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना जरिया जनपद हमीरपुर
8. मु0अ0सं0 100/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना जरिया जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 रविन्द्र कुमार
2. हे0का0 शिवेन्द्र सिंह

